नजरसानी डिक्री / टी.ए. / 886 / 2004 / झुंझनू
गुमानाराम आदि बनाम रामेश्वर (मृतक) जरिये विधिक उत्तराधिकारी एवं अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23–4–2018	**खण्ड–पीठ** **श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य** **श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थिति :** **श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रार्थी** **श्री श्रवण घोसल्या, अभिभाषक अप्रार्थी ब्रीफ होल्डर,** **निर्णय** यह नजरसानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्व मण्डल की विद्वान खण्ड–पीठ सदस्य श्री एम.एल. जैन एवं श्री बद्रीलाल मीणा द्वारा अपील डिक्री/55/2000/झुंझनू, शीर्षक गुमानाराम आदि बनाम रामेश्वर आदि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21–11–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान खण्ड–पीठ ने उपरोक्त अपील को खारिज किया है। नजरसानी प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्यानुसार वादीगण / प्रार्थीगण ने एक दावा संख्या–36/84 शीर्षक गुमानाराम आदि बनाम रामेश्वर आदि, न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, नवलगढ के समक्ष अन्तर्गत धारा–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। विद्वान उप खण्ड अधिकारी, नवलगढ ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11–2–1988 के द्वारा दावा को स्वीकार कर डिक्री कर दिया। विद्वान उप खण्ड अधिकारी, नवलगढ के निर्णय एवं डिक्री दिनाक 11–2–1988 के विरूद्ध प्रतिवादी / वर्तमान अप्रार्थी संख्या–1 ने प्रथम अपील संख्या–22/88 शीर्षक रामेश्वर बनाम गुमानाराम, न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर के समक्ष प्रस्तुत की। विद्वान अपील अधिकारी ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–3–2000 के द्वारा अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11–2–1988 निरस्त कर दिया। विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–3–2000 से व्यथित होकर वादीगण /	

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नजरसानी डिक्री / टी.ए. / 886 / 2004 / झुंझनू
गुमानाराम आदि बनाम रामेश्वर (मृतक) जरिये विधिक उत्तराधिकारी एवं अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थीगण ने द्वितीय अपील संख्या–55/2000/टी.ए./झुंझनू, शीर्षक गुमानाराम आदि बनाम रामेश्वर आदि न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की। राजस्व मण्डल की विद्वान खण्ड–पीठ सदस्य श्री एम.एल. जैन एवं श्री बद्रीलाल मीणा ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनाक 21–11–2003 के द्वारा अपील को खारिज कर दिया। विद्वान खण्ड–पीठ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21–11–2003 से व्यथित होकर यह नजरसानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी, बहस पर मनन किया तथा नजरसानीधीन निर्णय दिनांक 21–11–2003 एवं आदेश–47 नियम–1 सी.पी.सी. में नजरसानी के आधारों का अवलोकन किया गया। आदेश–47 नियम–1 सी.पी.सी. के तहत अगर किसी निर्णय / आदेश में प्रत्यक्षतः दिखाई देने वाली त्रुटि हो तो वह प्रत्यक्षतः दिखाई देने वाली त्रुटि नजरसानी का आधार हो सकती है। नजरसानीधीन निर्णय अगर किसी अन्य आधार पर त्रुटिपूर्ण हो तो वह नजरसानी का आधार नहीं हो सकता है। वर्तमान प्रकरण में नजरसानी मीमों के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि इस प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई भी आधार अंकित नहीं किया गया हो जिसे आदेश–47 नियम–1 सी.पी.सी का आधार कहा जा सके। नजरसानीधीन निर्णय में किसी भी प्रकार की कोई प्रत्यक्षतः दिखाई देने वाली त्रुटि नहीं है, जिसके अभाव में नजरसानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। फलस्वरूप नजरसानी प्रार्थना पत्र एडमिशन स्तर पर ही खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य** **(विजय कुमार सोनी)** **सदस्य**	

नजरसानी डिक्री / टी.ए. / 886 / 2004 / झुंझनू

गुमानाराम आदि बनाम रामेश्वर (मृतक) जरिये विधिक उत्तराधिकारी एवं अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए